संख्या-394/एक-10-2024-33(06)/2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊः दिनांक 27/02/2024

विषय:-लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अन्तर्गत गुडम्बा, मिश्रपुर से कुकरैल नाला तक भूमिगत आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप नाला निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ के पत्र संख्या-3106/पी0एच0/जे0/23-24 दिनांक 21.02.2024 जिसके माध्यम से लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अन्तर्गत गुडम्बा, मिश्रपुर से कुकरैल नाला तक भूमिगत आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप नाला निर्माण कार्य हेतु स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से धनराशि रू० 3,00,91,000/- की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10 जनवरी, 2024 को सम्पन्न अप्रेजल कमेटी की संस्तुति तथा दिनांक 08.02.2024 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की गाइड लाइन के अन्तर्गत प्रस्ताव होने के दृष्टिगत लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अन्तर्गत गुडम्बा, मिश्रपुर से कुकरैल नाला तक भूमिगत आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप नाला निर्माण कार्य हेतु रू0 3,00,91,000/- **(रूपये तीन करोड़ इकयानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृत के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 1,50,45,500/- की वित्तीय स्वीकृत** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देते हुए उक्त धनराशि रू0 **1,50,45,500/-** आपके के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम एवं शर्ते-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को उक्त कार्य हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवंटित कर समयबद्ध रूप से पूर्ण करायी जायेगी।
2. उक्त योजना/कार्य का आगणन रू0 5.00 करोड़ से कम है अत: योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों/आगणनों के परीक्षण हेतु मार्गदर्शी बिन्दुओं के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-दस/77 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के प्राविधानानुसार योजना/कार्य के आंगणन का मूलयांकन करा लिया

जायेगा।

3. योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विलीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 अध्याय-12 के प्रस्तर-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जावेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वितीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
5. योजना अन्तर्गत कार्यों की द्विरावृति (डुपलीकेशी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाए।
6. योजना अन्तर्गत कार्य हेतु अवमफकत धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
7. कार्य की विशिष्टियां मानक गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
8. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारभ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
12. परियोजना से संबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात इसका रख-रखाव निकाय द्वारा किया जायेगा।
13. प्रश्नगत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत मदों से इतर अन्य मदों/ कार्यों में नहीं कया जायेगा।
14. ऑडिट कराने का दायित्व संबंधित नगर निगम का होगा।
15. स्वीकृत धनराशि का उपयोग मानदेय वेतन/ईधन/ मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व की योजनाओं/कार्यों में नहीं किया जायेगा।
17. स्वीकृत धनराशि का उपभोग वितीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

18.राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

19.समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी

20.जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

21.उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

22.व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

23.ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

24.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रु० 1,50,45,500/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख पैंतालिस हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 27-02-2024 16:28:23
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-394/एक-10-2024,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थएवं आवश्यककार्यवाही हेतुप्रेषितः –

1. - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ ।
3. विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
6. कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।

8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग- 5
10.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-14/03/2024

प्रेषण संख्या:- 394
आवंटन आदेश संख्या:- 001-394
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय , लखनऊ-01-लखनऊ	वर्तमान प्रगामी	15045500 15045500	15045500 15045500
	योग	वर्तमान प्रगामी	15045500 15045500	15045500 15045500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी